न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 40/2018

1. बीरबलराम पुत्र नत्थूराम निवासी वार्ड नं. 12 पुरानी आबादी, सुखवंत पैलेस के पास, श्याम जनरल स्टोर के पास, श्रीगंगानगर व काश्तकार चक 5 वाई तहसील श्रीगंगानगर।
2. हंसराज पिसरान नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तह0 श्रीगंगानगर।
3. नन्दराम
4. प्रेमकुमार पुत्र खीवनी पत्नी सहीराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील श्रीगंगानगर।
5. नेमा देवी पुत्री नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील श्रीगंगानगर।
6. मंजू पुत्री खीवनी पत्नी सहीराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील श्रीगंगानगर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 20.03.2018

उपस्थितिः—

श्री हरजीतसिंह जोली अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक रेस्पों.
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 20.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 03.01.2018 को एक प्रा.पत्र पेश कर चक 5 वाई के मु.नं. 51 के कि.नं. 1 में 8½ फिट रास्ता जो मंजूर किया हुआ है

20/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उसका अमल दरामद किया जावे। प्रा.पत्र पर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली जाकर दिनांक 20.03.2018 को उक्त रास्ता स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की मांग उक्त रास्ता को खुलवाने की थी। इसके विपरीत उपखण्ड अधिकारी ने रास्ता स्वीकृत कर दिया। रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। सन् 1978 में अपीलांट के पूर्वज ख्यालीराम द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की कीमत के बदले राशि देकर राजीनामा तस्दीकशुदा प्रस्तुत कर रास्ता मंजूर करवाया गया। मु.नं. 49 के कि.नं. 25 में रास्ता मंजूर करने का मु.नं. 50 के शेष हिस्सेदारों के प्रा.पत्र पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में नया रास्ता मंजूर नहीं करवाया जा सकता था। मु.नं. 49 के कि.नं. 25 में पुराना कोठा निर्मित है तथा वट के साथ-साथ पेड लगे हुए हैं। इस प्रकार अधी. न्यायालय ने जो रास्ता स्वीकृत किया है वह न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96सीपीसी पेश किया को स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रास्ता मौके पर चालू है। राशि जमा हो चुकी है। इस रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता रेस्पों. के लिए उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने अनुमति प्रदान की जाती है।

20/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय में रिव्यू टाईप का प्रा.पत्र पेश कर रखा है। अधी. न्यायालय द्वारा स्वीकृतशुदा रास्ता मौके पर चालू हो चुका है। निर्णय की पालना हो चुकी है, स्वीकृतशुदा रास्ता का गामान्तरणकरण राजस्व रिकार्ड में अंकित हो चुका है एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में मुआवजा राशि राजकोष में जमा हो चुकी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना कर रास्ता स्वीकृत किया है। तदानुसार अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर